



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249517
CG-DL-E-18102023-249517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2023/अश्विन 25, 1945

No. 595]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 749(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 24 और उसकी प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. आईए3-22/24/2022-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 24 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), shall come into force.

[F. No. IA3-22/24/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

6616 GI/2023